भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 585

उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2026 (बुधवार)

31 आषाढ़, 1948 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम-डिवाइन के तहत निधि उपयोग दर

†585. **श्री गौरव गोगोईः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार पीएम-डिवाइन के तहत निधि उपयोग दर का ब्यौरा क्या है, विशेषकर प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में स्वीकृत, जारी की गई और वास्तव में खर्च की गई राशि का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मेघालय और नागालैंड में चौंतीस प्रतिशत उपयोग दर दर्ज किए जाने की रिपोर्ट है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस कम प्रदर्शन को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) 5,450 करोड़ रुपये के असम पैकेज के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और इसे पूरा करने की संशोधित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पूरे क्षेत्र में पीएम-डिवाइन के प्रदर्शन की कोई समीक्षा की गई है, और यदि हाँ, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) अक्तूबर 2022 में इस स्कीम की शुरुआत के बाद से, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) केतहत दिनांक 31.03.2026 तक कुल 51 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 6443.62 करोड़ रुपये है। इन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दिनांक 31.03.2026 तक 2534.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और उपयोग की गई है। दिनांक 31.03.2026 तक स्कीम के तहत स्वीकृत धनराशि और किए गए व्यय का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) परियोजनाओं में धनराशि के उपयोग का स्तर अलग-अलग होता है, जो कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि निविदा प्रक्रिया, काम सौंपे जाने और तैयारी में लगने वाला समय, पहाड़ी इलाकों में स्थल विशेष और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां, अपेक्षित स्वीकृतियां आदि।

परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/एजेंसियों की होती है। मंत्रालय मेघालय और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कई कदम

उठाता है। इनमें राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें, डैशबोर्ड और जियो-टैग एवं टाइम-स्टैम्प वाले फोटोग्राफों के माध्यम से निगरानी, मंत्रालय/उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी)/फील्ड तकनीकी सहायता इकाइयों (एफटीएसयू)/परियोजना गुणवत्ता प्रबोद्यन (पीक्यूएम)/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (टीपीटीआई) एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षण और स्थल का दौरा आदि शामिल हैं।

(ग) 5,450 करोड़ रुपये के असम पैकेज अर्थात बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी), कार्बी आंगलोंग स्वायत्तक्षेत्रीय परिषद (केएएटीसी), दिमा हसाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद (डीएचएटीसी), असम के आदिवासी समूह, असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए)/दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएससी) समूह, और असम के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम (उल्फा) समूह के मौजूदा कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) मंत्रालय राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें करके पीएम-डिवाइन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करता है।

यदि कोई बाधा हो, तो इन समीक्षाओं के माध्यम से उसकी पहचान की जाती है और राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की निगरानी सुदृढ़ करने, निष्पादन में तेज़ी लाने, निधि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन कार्यक्रम का पालन करने के उपायों के बारे में सलाह दी जाती है।

अनुबंध-I

"पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम-डिवाइन के तहतनिधि उपयोग दर" विषय पर लोक सभा में दिनांक 22.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 585 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	**राज्य/एजेंसी**	**परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)**	**31.03.2026 तक व्यय (करोड़ रुपये में)**
1	अरुणाचल प्रदेश	832.80	160.95
2	असम	1402.50	570.09
3	मणिपुर	561.00	204.07
4	मेघालय	773.90	275.11
5	मिज़ोरम	595.25	214.84
6	नागालैंड	552.83	263.41
7	सिक्किम	561.11	438.00
8	त्रिपुरा	561.00	206.18
9	केंद्रीय एजेंसियां	603.23	201.65
	कुल	**6443.62**	**2534.29**

अनुबंध-II

"पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम-डिवाइन के तहत निधि उपयोग दर" विषय पर लोक सभा में दिनांक 22.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 585 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(30.06.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	पैकेज	समझौता ज्ञापन (एमओएस) की तारीख	पैकेज का आकार	कार्यान्वयन की स्थिति
1	बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी)	27.01.2020	250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से तीन वर्ष के लिए 750 करोड़ रुपये	512.46 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।
2	कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद (केएएटीसी)	04.09.2021	100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये	480.55 करोड़ रुपये की लागत वाली 05 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।
3	दिमा हसाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद (डीएचएटीसी)	08.10.2012	40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपये	195.8 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई जो पूरी हो गई हैं।
4	असम के आदिवासी समूह	15.09.2022	100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये (08.08.2025 को अनुमोदित)	73.42 करोड़ रुपये की लागत वाली 03 परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया।
5	असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए)/दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएससी) समूह	27.04.2023	100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये (08.08.2025 को अनुमोदित)	–
6	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम (उल्फा) असमसमूह	29.12.2023	600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए 3000 करोड़ रुपये (08.08.2025 को अनुमोदित)	–
